न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/297/2018

उनवान

1. श्रीमती गीता पत्नी स्व0 बक्षुजी कीर निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गंगा पत्नि बक्षुजी कीर निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लादी पत्नि भीमा कीर निवासी मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा
3. उपपंजीयक माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 21/08 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश शिशोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का सजरा इस प्रकार है कि मूल पुरूष घीसा आत्मज उदा कीर थे जिनके पुत्र बक्षु एवं पुत्री लादी प्रत्यर्थी हुए। इनमें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से पुत्र बक्षु फौत हो गया जिसके दो पत्नियां प्रतिवादी संख्या 1 गीता व प्रतिवादी सं0 2 गंगा है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शामलाती हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम बावलास तहसील माण्डल में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1526 रकबा 2.00 बीघा, आ0नं0 1600 रकबा 1.05 बीघा, आ0नं0 1860 रकबा 1.10 बीघा, आ0नं0 1861 रकबा 1.17 बीघा, आ0नं0 1862 रकबा 1.05 बीघा, आ0नं0 1863 रकबा 1.13 बीघा, आ0नं0 1864 रकबा 0.02 बीघा, आ0नं0 1865 रकबा 0.04 बीघा, आ0नं0 1866 रकबा 0.08 बीघा, आ0नं0 1867 रकबा 0.06 बीघा, आ0नं0 1868 रकबा 0.07 बीघा, आ0नं0 1869 रकबा 0.01 बीघा, आ0नं0 1871 रकबा 0.12 बीघा, आ0नं0 1874 रकबा 0.09 बीघा, कुल कीता 14 कुल रकबा 11.19 बीघा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बक्षु आत्मज घीसा कीर के नाम दर्ज है। घीसाजी के एक पुत्र बक्षुजी व पुत्री लादी हुई। बक्षुजी लाऔलाद फौत हो गए एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बक्षु की पत्नियां है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादीया की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है जो कि स्व0 घीसाजी कीर के समय की होकर वादीया एवं प्रतिवादीगण का समान रूप से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 1017, 1019, 1021, 1466, 1018, 1169, 1022, 1023 थे जो कि पूर्व में घीसा आत्मज उदा कीर के नाम दर्ज थी। आराजीयात मौरूसी होकर अविभाजित हिन्दु परिवार की पैतृक आराजीयात है जिसमें वादीया का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा आता है। उसी अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते आरहे हैं। परन्तु घीसाजी की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें प्रतिवादी संख्या 1व 2 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पति बक्षु कीर ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलाभागती कर उक्त विवादित कृषि आराजीयात को अकेले अपने नाम पर अंकित करवा लिया गया जबकि उक्त विवादित भूमि में वादिया एवं बक्षु कीर का समान रूप से हक व हिस्सा है और उक्त आराजीयात में वादीया अपने आपको 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करवा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्थी करवाने की अधिकारी है। बक्षु की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजीयात का नामन्तरकरण अकेले अपने नाम पर खुलवा कर उक्त विवादित आराजीयातत को रहन बय, बक्षीस के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के नाम अन्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है ।प्रतिवादीगण वादीया को उक्त विवादित भूमि के मौके से जबरन लाठी के बल से बेदखल करना चाह रहे हैं और वादीया के उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करने लग गये है और वादीया को उक्त विवादित भूमि के अपने हिस्से से बेदखल करने के आशय से प्रतिवादीगण ने वादीया को हाल ही में दिनांक 10.02.2008 को धमकी दी कि उक्त आराजीयात से 15 दिन में कब्जा छोड देना अन्यथा तुम्हे जबरन लाठी के बल से बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन, बय, बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर खुर्द बुर्द कर देगें। अतः वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कुलिया आराजीयात में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्थी फरमाई जावे एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी सादिर फरमाई जावे कि उक्त कुलिया आराजीया में से वादिया का 1/2 हिस्सा आता है के उपयोग उपभोग में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे तथा वादिया को प्रतिवादीगण जबदन बेदखल नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे एवं प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात को रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के नाम पर अन्तरित नहीं करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. बहस में वकील अपीलार्थी के द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया/प्रत्यर्थी संख्या 01 से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। लादी नाम की कोई पुत्री स्व0 घीसाजी के नहीं थी न कभी पैदा ही हुई। स्व0 घीसाजी की मृत्यु की विरासत का जो नामान्तरकरण दायर हुआ उसे 45 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है परन्तु वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 ने उसे निरस्त कराने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है। वादोक्त आराजीयात पर वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं है न रहा है। उक्त वाद की आड में वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 भूमि को हथियाना चाहती है। जबकि वादोक्त आराजीयात में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है । इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी जांच एवं राजीनामा के वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 को वादोक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से का राजस्व लोक अदालत कैम्प में खातेदार घोषित किया जो विधि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमया जावे या प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

5. बहस में वकील प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा निवेदन किया कि प्रत्यर्थी/वादीया स्व0 घीसाजी की जाइन्दा पुत्री है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प में जांच के पश्चात विधिवत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि मृतक घीसाजी का जो सजरा बताया है वह गलत है क्योंकि घीसाजी के लादी नाम की कोई पुत्री नही है न उत्पन्न हुई है बल्कि घीसाजी के एक मात्र संतान लड़का बक्षु ही था। एवं बक्षु की मृत्यु के पश्चात हम अपीलाण्ट्स उनकी पत्नियां होने से वादोक्त आराजीयात की एकमात्र खातेदार काश्तकार हम ही हैं। वादोक्त आराजीयात पर हम अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त हमारे पति के जीवन काल से चला आ रहा है इस पर प्रत्यर्थी सं0 1 का न कब्जा है न कभी कब्जा काश्त रहा है। उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें सजरा अंकित है उसमें वादीया /प्रत्यर्थी सं0 1 स्वयं को स्व0 घीसाजी की पुत्री बताती है परन्तु पुत्री होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं है। मूल पुरूष घीसाजी की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 11.07.1967 को निर्णित किया जिसमें घीसाजी की मृत्यु के पश्चात ग्राम बावलास की आराजीयात कीता 8 कुल रकबा 11.18 बीघा भूमि को बक्षु पिता घीसा कीर सा0देह ना0बा0बविलायत मु0 दाखी बेवा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

घीसा कीर सा0देह के नाम दर्ज किया। उक्त इन्तकाल के कॉलम संख्या 16 में स्पष्ट अंकित किया है कि घीसा पिता उदा कीर के इकलौता पुत्र बक्षु है जो नाबालिग हो अपनी माता दाखी की सरपरस्ती में रहता है। इससे प्राथमिक तौर पर यह निष्कर्षित होता है कि यदि वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 मृतक घीसाजी की पुत्री होती तो उसका नाम नामान्तरकरण की जांच के दौरान अवश्य लिखा जाता क्योंकि वक्त नामान्तरकरण बक्षु भी नाबालिग था। सम्वत् 2018 से 21 की नकल जमाबन्दी के अनुसार ग्राम बावलास की साबिक आ0नं0 1017, 1019, 1021, 1466, 1018, 1169, 1022, 1023 कीता 8 कुल रकबा 11.18 बीघा भूमि श्री घीसा वल्द उदा कीर सा0देह के नाम दर्ज थी। उपरोक्त साबिक आराजीयात के हाल नम्बर 1526 आ0नं0 1600 आ0नं0 1860 आ0नं0 1861 आ0नं0 1862 आ0नं0 1863 आ0नं0 1864, आ0नं0 1865 आ0नं0 1866 आ0नं0 1867, आ0नं0 1868 आ0नं0 1869 , आ0नं0 1871 आ0नं0 1874 कुल कीता 14 कुल रकबा 11.19 बीघा बने हैं जो खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2024 से प्रमाणित होकर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 64 में श्री बक्षु पिता घीसा कीर सा0देह खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागोर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा नामान्तरकरण सं0 387 को निर्णित हुए 45 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी निरस्ती हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की। यहां तक कि वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 ने वादोक्त आराजीयात पर अपने 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 को स्व0 घीसाजी की वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजीयात में 1/2 हक का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में रख कर बिना पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के समझौते के भी प्रकरण का निस्तारण कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत में आपसी राजीनामे से निस्तारण के प्रयास किए जावें। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 29.09.2017 को तनकी कायमी हेतु नियत था। परन्तु उक्त दिनांक को स्थानीय बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी पेशी दिनांक 24.11.2017 नियत की गई। स्थानीय बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी पेशी 17.04.2018 तनकी हेतु नियत थी। परन्तु उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बावलास पर दिनांक 15.06.2018 को रखा गया जिसकी सूचना बाबत पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाना पत्रावली से प्रकट होता है, परन्तु मात्र गीता पत्नी बक्षु कीर के नाम का नोटिस जिसे सुगना देवी को तामील कराया है, संलग्न पत्रावली है। पुत्रवधु को नोटिस तामील कराई गई है, तथा गंगा पत्नी बक्षु कीर की तामील पत्रावली में संलग्न नहीं है। फर्द अहकाम से स्पष्ट होता है कि कैम्प में वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 उपस्थित हुई तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित हुए परन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया इसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजीनामा रिकॉर्ड पर लिए ही वादीया का वाद डिक्री किया गया है। राज्य सरकार की राजस्व लोक अदालत अभियान चलाने का एक मात्र ध्येय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यही था कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण अधिक से अधिक पक्षकारान के मध्य आपसी सौहार्द एवं राजीनामें से किया जावे परन्तु उक्त प्रकरण में ऐसा कोई राजीनामा नहीं लिया गया । जब पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब दावे में आपत्ति की गई थी कि वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 घीसाजी की पुत्री नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि प्रकरण में विधिवत तनकीयात कायम की जाकर दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक शहादत सबूत ली जाने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया की पालना में अन्तिम निर्णय पारित करते परन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं अपना कर कैम्प में एक पक्षीय बहस सुना जाकर सीधे ही वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 को स्व0 घीसाजी की आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री जारी कर दी गई जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि वादीया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने को स्व0 घीसाजी की पुत्री मानते हुए स्व0 घीसाजी की आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का वाद लाई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जबकि इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब दावे में अंकित किया कि स्व0 घीसाजी के लादी नाम की कोई पुत्री नही थी न उत्पन्न हुई। तो सर्वप्रथम उक्त बिन्दु को निर्णित किया जाने हेतु तनकी कायम की जानी चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की । वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 स्व0घीसाजी की पुत्री है इसके सम्बन्ध में अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय की पत्रावली पर कोई प्रामाणिक सजरा या विधिक दस्तावेज या साक्ष्य सबूत प्रदर्शित नहीं है। ऐसे में अपीलाण्टगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने पर भी दावे को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा स्वयं के स्व0 घीसाजी की पुत्री होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी वादिया का दावा सिद्ध मान कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी की गई है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। स्व0 घीसाजी की मृत्यु के पश्चात मृतक बक्षु के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 11.07.1967 निर्णित होकर राजस्व रिकॉर्ड में बक्षु पिता घीसा का नाम दर्ज हो चुका है । वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 स्वयं अपने वाद में यह तथ्य स्वीकार करती है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 मृतक बक्षु की पत्नियां है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादोक्त भूमि पर वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 से कब्जे काश्त के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य नहीं ली गई फिर भी वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व डिक्री अपीलाण्टगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध जारी की है जो विधिसम्मत नहीं है।

9. प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती लादी पत्नी भीमा कीर की ओर से बरवक्त बहस तीन शपथ पत्र प्रस्तुत किये। श्री कुन्दन सुवालका, नानू कीर व उंकार लाल कीर पुत्र नानू कीर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए जिनमें शपथ पूर्वक लादी पत्नी भीमा कीर को स्व0 श्री घीसा कीर की पुत्री होना अंकित किया गया है।

तीनों प्रार्थनापत्र नियम 41(27) के तहत प्रस्तुत नहीं किये गए है, तथा प्रति अभिभाषक अपीलाण्ट को नहीं दी गई है। अतः इस स्तर पर ऐसे शपथपत्रों के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्ष्य हेतु नहीं पढा जा सकता। चूंकि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अतः इसस्तर पर प्रस्तुत शपथ पत्र ग्राह्य किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. अपीलमीमों का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2018 को अपास्त किया जाकर पुनः तनकीयात कायम किया जाकर विधिसम्यक प्रक्रिया अनुसार निर्णयन हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की इश्तदुआ की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वाद एवं जवाब के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विधिक तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 297 / 2018

उनवान

1. श्रीमती गीता पत्नी स्व0 बक्षुजी कीर निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गंगा पत्नि बक्षुजी कीर निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लादी पत्नि भीमा कीर निवासी मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा
3. उपपंजीयक माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 21 / 08 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06..2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 297 / 2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 20.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश शिशोदिया प्रत्थर्थी संख्या 1 की ओर से श्री गोपाल अजमेरा वकील एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11 TA / 297 / 2018 गीता बनाम लादी

आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस